

प्रकरण संख्या 31/2023 वाद
मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)
उनवान

1. गंगा उर्फ गंगाराम पिता नारायण जी गाडरी निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा।

-वादीगण

बनाम

1. बद्री पिता नारायण जी गाडरी निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा।
2. उंकार पिता नारायण जी गाडरी निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा।
3. भूमिधारी तहसीलदार साहब निम्बाहेड़ा, तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज०

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- 1- श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव - अधिवक्ता वादी

दिनांक :-06.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री विकास पंचोली आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा बहाजिरी श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव वादी अधिवक्ता पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार तहसीलदार निम्बाहेड़ा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्र:-अंतर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर वाके मौजा केली पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 24 की आराजी नंबर 332 रकबा 0.0900 हैक्टेयर भूमि का बटवारा प्रस्ताव निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी दिनांक 05.06.2024 की पालना में बटवारा तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है -

1. श्री उंकार पिता नारायण गाडरी सा.देह
आराजी न. रकबा (हैक्टेयर) किस्म लगान
332/1 पूर्वी दिशा 0.06 बंजड़ 1 0.22

कुल किता-1 0.06 0.22

2. श्री गंगाराम पिता नारायण गाडरी सा.देह
आराजी न. रकबा (हैक्टेयर) किस्म लगान
332/2 मध्य 0.03 बंजड़ 2 0.10

किता-1 0.03 0.10

नोट पूर्व खातेदार बद्री पिता नारायणसिंह प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 उंकार पिता नारायण के नाम हकत्याग से हो चूका है।

अतः उपरोक्तानुसार बटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्बाहेड़ा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीजबाबत.....
मुबलिक.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरहफीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.08.2024 को जारी की

गई।
मुहर

दस्तखत
ओहदा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

	रुपया	पैसा	मुदयलाह	रुपया	पैसा
अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा	..		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	..		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील	...		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.	...		खर्चा गवाहान	0	0
फीस कमिश्नर.	..	0	फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा	.		बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	.		मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

